

8-7-2024

पत्रावली पेश। पीबसीन अधिकारी के अधिकांश / संज
राजकार्य में व्यस्त होने से / अभिभाषक रॉय द्वारा व्हायिक
वर्कों का बहिष्कार करने से पत्रावली पूर्व सुदेशानुसार
आजादी पेशी दिनांक 26-7-2024 को पेश हो।

26-7-2024

पत्रावली पेश हुमी वादी-पुमियादी वकील
अस्थित पत्रावली से 183 की इस आजादी
के सम्बन्धी वही है वादी वकील आजादी
पेशी पर अपना पत्र इस सम्बन्ध में
पेश करे पत्रावली वाले पुर्वाञ्चाल दिनांक
20-8-2024 को पेश है।

20-8-24

पत्रावली पेश हुमी वादी-पुमियादी वकील
अस्थित वादी वकील का अन्तिम आवस 2
आजादी पेशी पर पत्रावली पेश करने का नाम
इस पत्रावली दिनांक 23-8-2024 को
पेश है।

23/8/24

पत्रावली पेश हुमी / अधिकारता उप
आयें / अधिकारता श्री रविपुरी कादेशा 23
निष्ठा । व 2 सीपीसी सपत्ति द्वारा-157
पेश किया। अधिकारतावादी ने निवेदन
किया कि वादी को नया वाद पेश करने की
व प्रतिष्ठा विधि से ब्युट प्रदान करते हुए
उपनिष्ठा-पत्र स्वीकार करें।
मेरे पत्रावली का ध्यान पूर्वक महामुद्र
किया। प्रस्तुत उपनिष्ठा-पत्र एवं अधिकारता
वादी के निवेदन पर गौर किया।

तारीख
हुकम

23/8/24

जाहिर हुआ कि वादी जो कि अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य है तथा प्रतिवादी राज सामान्य वर्ग के हैं। कुतूब में वादी ने शरानी 1599 रकबा 5 जिन क्षेत्रा जगतिनगर त. बंसवड़ा से निर्माण-कार्य कर लेइवली कर गयी है।

Under section 183-B of RTA provision of summary ejection of trespasser of the land held by a member of scheduled caste or scheduled tribe is provided for which an application of the person or persons entitled to eject the trespasser has to filed in the court of Tehsildar. The enquiry into the alleged trespassers is subsequently to filing of such an application in the competent court of Tehsildar by the affected tenant of scheduled caste.

उक्तानुसार हस्तगत प्रमाण न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र से परे होने कारण प्रार्थना-पत्र लीकार छिप जात की वादी कुतूब प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली इसी त्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली के ताल सुमा है नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर है। निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास हुगाणा के पास

[Signature]